उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 03 /2021/152 /92-2-21-3सी0क्यू0/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 27 जनवरी 2021

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू0-फैजाबाद के कार्यालय में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, एपेक्स, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में प्राविधिक परीक्षक (मुख्यालय) ग्राम्य विकास एवं प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास, फैजाबाद मण्डल की समिति की जांच आख्या दि0 04.01.2005 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-98/2018/1933/92-2-18-03सी0क्यू0/18 दि0 27-07-2018 द्वारा श्री राजित राम, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-फैजाबाद सम्प्रति प्रखण्ड-सोनभद्र के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-3811/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/सहा0अभि0/19-20 दि0 18-11-2019 से जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से आरोप सं0-2 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13-12-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 07-02-2020 को शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-3 आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जॉच आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप संख्या-2 के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जॉच समिति (टीएसी ग्राम्य विकास विभाग) की जांच आख्या मे आंकलित शासकीय क्षति के संबंध मे उपलब्ध करायी गयी आख्या दि0 22.09.2020 व दि0 03.11.2020 तथा जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता परि0-लखनऊ की आख्या दिनांक 07.01.2021 व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री राजित राम, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-98/2018/1933/92-2-18-03सी0क्यू0/18 दिनांक 27-07-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 03/2021/152 /(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री राजित राम, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण् विभाग प्रखण्ड-झॉसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।